

21/12/17

श्री

वकील काही उपरिष्ठत। प्रतिवादी वकील अनुपस्थित। वकील वादी  
 ने निवेदन किया प्राथम पत्र धारा 212 पर ता फिलहाल वाद  
 यथास्थिति बनाये रखे हेतु अग्रार्थी गणों को पावेन्द्र किया जा  
 चुका है। अतः प्राथम पत्र पर कार्यवाही शेष की जावे। दि. 20/12/17  
 का अन्वयक करके वा. पाया कि वकील प्राथम का निवेदन स्वीकार  
 योग्य हेतु है स्वीकार किया जात है। अतः प्रकाश पर कार्यवाही  
 शेष की जाती है। मिसल क्रमल शुमार लेकर नम्बर के कम है।

उपखाद्य अधिकारी  
 मसूदा (अजमेर)

